आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

07/10/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-32/2024-2025

(1) राजु उराँव,
(2) काजू उराँव,
(3) बिरसा उराँव,
(4) बादल उराँव
(5) बबलू उराँव,.....आवेदकगण।

बनाम्

रवि बजाज, ... विपक्षी।

आदेश

आवेदकगण (1) राजु उराँव, वो (2) काजू उराँव, वो (3) बिरसा उराँव, वो (4) बादल उराँव, वो (5) बबलू उराँव, सभी के पिता–स्व० सोमा उराँव, निवास ग्राम–नगरी बुकरू, थाना–काँके, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि मेरी जमीन को विपक्षी रवि बजाज, पिता–स्व० हरि कृष्ण बजाज, निवास ग्राम–अपर बाजार, थाना–कोतवाली, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
बुकरू	54	169	177	02 एकड़ 07 डी०

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत खतियान में सुकरा उराँव वल्द दुसीआ उराँव, एक हिस्सा वो वुका उराँव वल्द जोगा उराँव एक हिस्सा साकिन नगड़ी के नाम से दर्ज है। आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति

07/10/24

कृ०पृ०उल्टे

प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिये है। इसी को आधार मानते हुए कारण–पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए।

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र के माध्यम से उल्लेख किया है कि खतियान में सुकरा उराँव वल्द दुसीआ उराँव, एक हिस्सा वो वुका उराँव वल्द जोगा उराँव, एक हिस्सा के नाम से दर्ज है। सुकरा उराँव अपने पीछे एक पुत्र सोमा उराँव को छोड़ गये। सोमा उराँव अपने पीछे पाँच पुत्र (1) राजु उराँव, वो (2) काजू उराँव, वो (3) बिरसा उराँव, वो (4) बादल उराँव, वो (5) बबलू उराँव, 'को छोड़ गये, जो आवेदकगण हैं।

विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। विपक्षी का कहना है कि यह वाद पोषणीय नहीं है। विपक्षी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। उपरोक्त वर्णित भूमि पर 1937 से ही खेती नहीं की जा रही है। अतः यह कृषि योग्य भूमि नहीं है। तथा खतियान में सुकरा उराँव वगै० में अध–बटाई दर्ज है। तथा खेवट नं०–4, में समिलात मालिकान मुनदरजे खेवट नं०–2/6 वो 3 दर्ज है। खेवट नं०–2/6 में भूपालराम तिवारी, वल्द हरखु राम तिवारी, और खेवट नं०–3 में जोधन राम तिवारी, वल्द काशी राम तिवारी, वो भीरतुन जैनाथ चौबे, वल्द जैनाथ राम चोबे वहीशे बराबर दर्ज है। दिगम्बर राम तिवारी वल्द भूपालराम तिवारी ने पाण्डे पारस नाथ राय को 1937 में निबंधित पट्टा से खेवट नं०–2/6 खाता नं०–169, प्लॉट नं०–177, कुल रकवा–46 एकड़ जमीन मौजा–बुकरू, थाना नं०–54, को बेच दिये। जिसका बुक नं०–1, भोलूम नं०–47, पेज नं०–215 से 220, डीड नं०–3638 वर्ष 1937 है। 1937 से ही दखल कब्जा के साथ भूमि पर शांति पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात पाण्डे पारस नाथ राय ने श्रीमती पदमावती देवी, को एक निबंधित पट्टा से वर्णित भूमि को बेच दिये। जिसका बुक नं०–1, भोलूम न०–29, पेज नं०–471 से 475, डीड नं०–4581, वर्ष 1950 जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है और शांति पूर्वक दखल कब्जा के साथ रहने लगे।

Mi- 17/10/24.

कृ०पृ०उल्टे

पुनः पाण्डे तारकेश्वर नाथ राय, वल्द पाण्डे पारस नाथ राय, ने वर्णित भूमि को रामनरायण साहु वगैरह को निबंधित पट्टा से बेच दिये। जिसका बुक नं०–1, भोलूम न०–07, पेज नं०–255 से 257, डीड नं०–6540, वर्ष 1963 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। पाण्डे तारकेश्वर नाथ राय, पिता–पाण्डे पारस नाथ राय, वर्णित भूमि मुनेश्वर साहु को निबंधित पट्टा से दखल कब्जा के साथ बेच दिये। जिसका बुक नं०–1, भोलूम न०–07, पेज नं०–258 से 260, डीड नं०–6541, वर्ष 1963 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। श्रीमती पदमावती देवी जौजे पाण्डेय तारकेश्वर नाथ राय ने बेचन साहु वो रामलोचन साहु को दखल कब्जा के साथ वर्णित भूमि पट्टा से बेच दिये। जिसका बुक नं०–1, भोलूम न०–07, पेज नं०–261 से 263, डीड नं०–6542, वर्ष 1963 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। पुनः (1) श्री बेचन साहु, (2) राम लोचन साहु, दोनों के पिता–श्री जानकी साहु, (3) मुनेश्वर साहु, पिता–पिठु साहु, (4) राम नरायण साहु, वल्द हिगन साहु, महि वो बली सत्य नरायण साहु, वो शंभु प्रसाद साहु, पेशरान नावालिगन हिंगन साहु, ने श्री राजकुमार बजाज, वल्द श्री जेठमल बजाज को एक निबंधित पट्टा से बेच दिये। जिसका बुक नं०–1, भोलूम न०–13, पेज नं०–91 से 95, डीड नं०–57, वर्ष 1965 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है। जिसका मौजा–बुकरू, थाना नं०–54, खाता नं०–169, खेवट नं०–04, प्लॉट नं०–177, कुल रकवा–02 एकड़ 07 डिसमिल है। इस वर्णित भूमि पर 1965 से शांति पूर्वक दखल कब्जा के साथ राजकुमार बजाज रहने लगे। राजकुमार बजाज की मृत्यु के बाद परिवार में सभी जमीन का आपसी बटवारा हुआ जिसमें वर्णित भूमि विपक्षी रवि बजाज को मिला तब से ही रवि बजाज दखलकार होकर शांति पूर्वक निवास कर रहे हैं।

विपक्षी का कहना है कि 1937 से आज तक लगभग 86 वर्षो से आवेदकगण का ना दखल है ना ही कब्जा है और ना ही खेती बारी कर रहे हैं। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत यह वाद 30 वर्षो बाद लाया गया है जो पोषणीय नहीं है।

कृ०पृ०उल्टे

तथा इस पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" लागू नहीं होता है।

अतः आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया तथा कहते हैं कि यह वर्णित भूमि मेरी खतियानी जमीन है, एवं मैं खतियानी रैयत का वंशज हूँ। जिस पर विपक्षी जबरन दखल कब्जा कर लिए हैं, जो नाजायज है। आवेदकगण की ओर से खतियान की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किये, लिखित बहस में कहते हैं कि वाद 30 वर्षों के बाद लाया गया है जो काल–बाधित है, क्योंकि 1937 से ही आवेदकगण का वर्णित भूमि पर दखल कब्जा नहीं है, जो लगभग 86 वर्ष हो चुका है। वर्णित भूमि के खतियान में अधबटाई दार अंकित है, तथा खेवट नं०–4 में समिलात अंकित है। इसके अंतर्गत खेवट नं०–2/6 और 3 बना है। खेवट नं०–2/6 में भूपलराम तिवारी, पिता–हरखु राम तिवारी, खेवट नं०–3 में जोधनराम तिवारी, वल्द काशीराम तिवारी वगै० नाम दर्ज है। खेवटदार के उतराधिकारी से दिगम्बर राम तिवारी, ने 1937 में जमीन खरीदा है, पुनः इसे पारसनाथ राय ने पदमावती देवी को 1950 में बेच दिया, फिर तारकेश्वर नाथ राय ने रामनरायण साहु को 1963 में बेच दिया, तथा पाण्डेय तारकेश्वर नाथ राय ने मुनेश्वर साहु को बेचा, और पदमावती देवी ने बेचन साहु को 1963 में बेचा, पुनः बेचन साहु वगैरह ने वर्णित भूमि में 02 एकड़ 07 डिसमिल श्री राजकुमार बजाज को 1965 में बेच दिया, तत्पश्चात लगातार दखल कब्जा के साथ रहने लगे जो कि लगभग 60 वर्ष हो चुका है। विपक्षी की ओर से खेवट नं०–04, 02/6, 03, और 05 निबंधित पट्टा की छाया प्रति न्यायालय में दाखिल किये है।

विपक्षी की ओर से कई साईटेशन की कॉपी दाखिल किये हैं।

Supreme Court of India

Situ Sahu and Others Vs The State of Jharkhand 2004 volume 4, JCR (Supreme court); 2004 (4) JLJR 109 and i.e. JCR 2003 (3) 492, "Jai Mangal Oraon Vs Smt. Mira Nayak and others (Supreme

Court);" ruling reported in 2004(1) JCR 107 (Jhr), ruling reported in 2010(2) JCR 636 Jhr Kamalakasi Jha Vs State of Jharkhand & Others and ruling reported in 2009(1) JCR 193 ahouri Akhileshwar Charan Lal Vs State of Bihar.

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने तथा सभी कागजातों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदकगण का 1937 से आज तक जमीन पर दखल कब्जा नहीं है, तथा खतियान में अधबटाई दर्ज है। विपक्षी का 1965 में निबंधित पट्टा से वर्णित 02 एकड़ 07 डिसमिल भूमि खरीदे हुए लगभग 60 वर्षों से अधिक हो चुका है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अन्तर्गत काल–बाधित है, एवं यह वाद पोषणीय नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वर्णित भूमि से संबंधित आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

7/10/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

7/10/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.05.21 14:44:37 +05:30
Location: 192.168.120.39